पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 14 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 10.04.2024

दिनांक 09/10.04.2024 को थाना बन्थरा 06, आलमबाग 01, बीबीडी 01, सुशान्त गोल्फ सिटी 02, गुडम्बा 01, मडियांव 01, रहिमाबाद 02, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना नगराम 03, गुड़म्बा 01, अलीगंज 01,अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0पूर्वी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना पीजीआई:-दिनांक 10.04.2024 को उ0नि0 श्री रजित कुमार मिश्रा द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 1.शंकर लोधी पुत्र स्व0 भागीरथ उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ 2.सुरेन्द्र कुमार पुत्र सहदेव लोधी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ 3.सर्वेश पुत्र राम नारायण लोधी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ 4.चन्द्र शेखर पुत्र स्व0 श्री कृष्ण लोधी उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ 5.रवि पुत्र स्व0 बाबूलाल लोधी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ 6.प्रमोद कुमार पुत्र शिवपाल लोधी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सरथूआ थाना पीजीआई लखनऊ को आपस में ताश के पत्तों द्वारा रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान ग्राम सरथुआ थाना पी0जी0आई लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व मालफड़ में 1,700/-रूपये नगद एवं जामातलाशी में 500/- रूपये नगद बरामद कर थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही

थाना गोमतीनगर विस्तार:- दिनांक-10.04.2024 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार अवस्थी द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01. गैंगलीडर अभियुक्त सलीम पुत्र एहसान अली निवासी ग्राम जगदीशपुर बिलौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी उम्र 40 वर्ष, 02. गैंग सदस्य अभियुक्त यासीन पुत्र एहसान अली निवासी ग्राम जगदीशपुर बिलौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी उम्र 50 वर्ष, 03. गैंग सदस्य अभियुक्त मो0 इरफान पुत्र आलम खाँ निवासी ग्राम जगदीशपुर बिलौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी उम्र 27 वर्ष, 04.गैंग सदस्य अभियुक्त मो0 सिताबी पुत्र मो0 स्माइल निवासी ग्राम जगदीशपुर बिलौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी उम्र 48 वर्ष, के विरुद्ध थाना गोमतीनगर विस्तार पर धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई। गैंगलीडर सलीम उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है जिसका लीडर स्वंय है जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

भा0द0वि0

थाना बिजनौर:-आज दिनांक 10.04.2024 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि आगन्तुक श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी 170 गौरी बाजार कानपुर रोड़ थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि दिनांक 09.04.2024 को समय करीब 11.16 बजे उसका पुत्र आर्यन कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार एस0एस0 पैलेस होटल में मुल्लाही खेड़ा थाना बिजनौर लखनऊ के कमरा नं0-102 को जोकि उसके पुत्र द्वारा ही दिनांक 09.04.2024 को बुक किया था और उसी कमरे में रह रहा था, ने उक्त कमरे के छत में लगे पंखे से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री सत्यपाल मो0-9118833394 थाना बिजनौर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक आर्यन उपरोक्त की उम्र करीब 21 वर्ष है, मृतक स्नातक का छात्र था। मृतक अविवाहित था।

थाना चिनहट:- आज दिनांक 10.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री प्रभाकर पासवान पुत्र दिवाकर पासवान निवासी 237/ज्ञ इन्द्रप्रस्थ कालोनी राम जानकी नगर बसारथपुर जनपद गोरखपुर ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 31.03.2024 को समय करीब 05.45 बजे शाम को वादी का भाई प्रभात पासवान पुत्र दिवाकर पासवान पता-237/ज्ञ इंद्रप्रस्थ कालोनी, रामजानकी नगर, वसारथपुर, जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष, जो कि गोरखपुर से लखनऊ किसी व्यक्तिगत कार्य से आये हुये थे। उसके बाद प्रभात पासवान उपरोक्त जो चिनहट तिराहे के पास गोदरेज, इंटेरिया के सामने सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुये थे। तभी एक अज्ञात ट्रक के चालाक नाम पता अज्ञात द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर फुटपाथ पर चढ़ाते हुये व प्रभात पासवान को कुचलते हुये चला गया। जिस कारण प्रभात पासवान उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मृतक प्रभात पासवान की पत्नी, व दो बच्चे भी है जिनका एक मात्र सहारा मृतक प्रभात पासवान ही थे। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 159/2024 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना नगराम-दिनांक 10.04.2024 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि श्रीमती आशा पत्नी रंजीत निवासिनी-बिरखुम्भा थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि दिनांक 08.04.2024 को उसका भाई चन्दन थारू पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष निवासी-बिरखुम्भा थाना गोसाईगंज लखनऊ एवं उसके बहनोई दिनेश कुमार पुत्र रामकरन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी-सबुआपुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी लोनी कटरा से गोसाईगंज अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे कि रास्ते में भौरा खुर्द पुल के आगे उक्त मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाईडर पर चढ़कर गिर गयी, जिससे मोटर साइकिल चालक उसका भाई चन्दन थारू उपरोक्त वहीं पर नहर की पटरी पर गिर गया और उसके बहनोई दिनेश कुमार उपरोक्त नहर में गिर गये। जिनकी खोज परिवारीजन कर रहे थे और इसकी सूचना डायल 112 पर दिया था किन्तु कोई लिखित सूचना थाना गोसाईगंज पर नहीं दिया था। आज दिनांक 10.04.2024 को उसको सूचना मिली थी कि अचलीखेड़ा रेगुलेटर के पास कोई शव पानी में उतरा रहा है। वह जब मौके पर पहुंची तो देखा कि उतराता हुआ शव उसके बहनोई दिनेश कुमार पुत्र रामसरन निवासी-उपरोक्त का है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री संदीप कुमार मो0नं0 थाना नगराम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी,** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के 01 पुत्र व 01 पुत्री है। चन्दन थारू उपरोक्त को मामूली चोट आयी थी जो सकुशल अपने घर पर हैं।

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी-दिनांक 10.04.2024 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी बाबूलाल निवासी-महिपाल खेड़ा अर्जुनगंज लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10.04.2024 को समय करीब 11.00 बजे दिन में वादिनी टैक्सी से अर्जुनगंज से गोसाईगंज जा रही थी कि रास्ते में टैक्सी नं0 यूपी 32 क्यू 6371 से चार लोग अहिमामऊ के पास गाडी में बैठे और चौराहे से लेकर विविध होटल तक ये चारों महिलायें वादिनी को लगातार परेशान कर रहीं थी। आगे चलकर झिलझिला मोड़ पर उक्त चारों महिलाओं उतर गयीं। उसके बाद गाड़ी में बैठी एक अन्य अज्ञात महिला बैठी थी जिसने एचसीएल कट पर वादिनी से पूछा कि ये चेन का लॉकेट आपका है। तब वादिनी को ज्ञात हुआ कि वादिनी की चेन उसके पास नहीं है। एचसीएल कट से ही टैक्सी ड्राइवर तुरंत गाड़ी को झिलमिला मोड़ तक लाया परन्तु वहां पर उक्त महिलायें नहीं मिली। वादिनी को शक है कि उसकी चेन उन्हीं अज्ञात महिलाओं में से किसी एक के पास है। **इस सूचना पर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 184/2024 धारा 379 भादवि का अभियोग बाइस्तवाह 04 अज्ञात महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**